

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।

पत्रांक-आर0टी0ई0, प्रवेश (प्रथम चरण)/B114 /2023-24 दिनांक-05.03.2024

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य,

RAMESHWARAM INTERNATIONAL ACADEMY GOVINDPURAM NEAR SEWA HOSPITAL SITAPUR
ROAD BKT LUCKNOW

विषय-शैक्षिक शत्र 2024-25 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों का कक्षा-1/ पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक स्कूल शिक्षा उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक- आर0टी0ई0 / न0प्र0-02 / 2022-23 / 11563 दिनांक- 18.12.2023 के माध्यम से शासनादेश संख्या-582 / 79-5-2016-2 9 / 2009 टी0सी0-11 दिनांक-03 मार्च 2016 के द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को गैर सहायित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय की कक्षा -1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में सम्बन्धित कक्षा की कुल क्षमता का कम से कम 25 प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश कराये जाने के प्राविधान के तहत आनलाईन आवेदन एवं लाटरी हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ करने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये हैं। जिसके क्रम में जनपद लखनऊ के नगर/ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विद्यालयों में प्रथम चरण में प्रवेश हेतु दिनांक-26 फरवरी 2024 को आनलाईन लाटरी के माध्यम से जनपद लखनऊ हेतु पंजीकृत बच्चों को उनके द्वारा वांछित विद्यालयों में से एक विद्यालय आवंटित किया गया है।

उक्तवत आनलाईन प्रथम लाटरी के माध्यम से प्रवेश हेतु चयनित बच्चों की सूची का जिला अधिकारी महोदय, लखनऊ के द्वारा अनुमोदन किया गया है। जिसके आधार पर आपके विद्यालय को आवंटित निम्न विवरणानुसार छात्र/छात्रा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत प्रवेश लेना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ यह भी निर्देशित किया जाता है कि संबन्धित छात्र/छात्रा के अभिभावक से प्रवेश सम्बन्धी मूल अभिलेखों एवं अभिभावक के बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रति का मिलान कर उसकी एक प्रति अपने पास संरक्षित रखें तथा प्रवेश दिये जाने की सूचना तत्काल निम्न प्रारूप पर सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करें।

क्र0सं0	रजिस्ट्रेशन नम्बर	छात्र/छात्रा का नाम	पिता का नाम	मोबाईल नम्बर	कक्षा जिसमें प्रवेश दिया गया
	2	3	4	5	6

उपरोक्तानुसार आवंटित बच्चों का प्रवेश विद्यालय में न लिये जाने की दशा में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) तथा शासनादेश संख्या 1 3087(1)/ 79-5-2012-29/09 टी0सी0 ॥ दिनांक- 3 दिसम्बर 2012 व शासनादेश संख्या-538/ 79-6-2013 शिक्षा अनुभाग लखनऊ-6 दिनांक-20 जून 2013 एवं समय समय पर निर्गत विभागीय निर्देशों का अनुपालन न होने की दशा में, के अन्तर्गत प्राविधानित विधिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा। प्रवेश करने के उपरान्त बच्चों का विवरण आर0टी0ई0 पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक- विद्यालय को आवंटित बच्चों की सूची।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
लखनऊ।

पू0सं0 व दिनांक-उक्तवत्।
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1-महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
- 2-जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ।
- 3-मुख्य विकास अधिकारी लखनऊ।
- 4-समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी जनपद लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार आवंटित विद्यालय में सम्बन्धित का तत्काल प्रवेश कराते हुए विद्यालयवार सूचना अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें।
- 5-सम्बन्धित अभिभावक।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

1. उन विद्यार्थियों को जो राष्ट्रीय सहायता प्राप्त
विद्यार्थियों के अभाव में और अनुसूचित जातियों तथा अन्य भर्तियों
के अभाव में अन्य अर्थ नहीं मिले करते हैं।

2. उन विद्यार्थियों को जो राष्ट्रीय सहायता प्राप्त
विद्यार्थियों के अभाव में अनुसूचित जातियों के अभाव में और
अनुसूचित जातियों के अभाव में अन्य अर्थ नहीं मिले करते हैं।

3. उन विद्यार्थियों को जो राष्ट्रीय सहायता प्राप्त
विद्यार्थियों के अभाव में अनुसूचित जातियों के अभाव में और
अनुसूचित जातियों के अभाव में अन्य अर्थ नहीं मिले करते हैं।

4. उन विद्यार्थियों को जो राष्ट्रीय सहायता प्राप्त
विद्यार्थियों के अभाव में अनुसूचित जातियों के अभाव में और
अनुसूचित जातियों के अभाव में अन्य अर्थ नहीं मिले करते हैं।

उक्त प्रतिबंधों का अर्थ यह है कि उक्त विद्यार्थियों को और
उक्त विद्यार्थियों को अर्थ नहीं मिले करते हैं।
उक्त विद्यार्थियों को अर्थ नहीं मिले करते हैं।
उक्त विद्यार्थियों को अर्थ नहीं मिले करते हैं।

भवदीय,

**गिर प्रकाश गुप्त ।
सहायक सचिव ।**

गिर प्रकाश गुप्त

- 1. विद्यार्थियों को अर्थ नहीं मिले करते हैं।
- 2. विद्यार्थियों को अर्थ नहीं मिले करते हैं।
- 3. विद्यार्थियों को अर्थ नहीं मिले करते हैं।
- 4. विद्यार्थियों को अर्थ नहीं मिले करते हैं।

राष्ट्रीय सहायता प्राप्त विद्यार्थियों के अभाव में अनुसूचित जातियों के अभाव में और अनुसूचित जातियों के अभाव में अन्य अर्थ नहीं मिले करते हैं।

भवदीय,

**गिर प्रकाश गुप्त ।
सहायक सचिव ।**

गिर प्रकाश गुप्त

गिर प्रकाश गुप्त